

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 157 / 2002
संस्थान दिनांक 08.05.2002

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. दिलीप पिता लक्ष्मण जाट, आयु 49 वर्ष,
2. सालकराम पिता चुन्नीलाल, आयु 55 वर्ष,
3. संतोष पिता टिकम, आयु 35 वर्ष,
4. भागीराम पिता चुन्नीलाल, आयु 63 वर्ष,
5. मांगीलाल पिता मंजीराम, आयु 60 वर्ष,
6. नरेन्द्र पिता शिवजी यादव, आयु 46 वर्ष,
7. शिवराम पिता भागीराम, आयु 36 वर्ष,
8. मुकेश पिता रामेश्वर, आयु 36 वर्ष,
9. गजेन्द्र पिता राजाराम, आयु 50 वर्ष,
10. अजीम पिता बाबु खॉ, आयु 48 वर्ष,
11. अम्बाराम पिता खेमाजी, आयु 70 वर्ष,
12. दिलीप पिता लक्ष्मण जाट, आयु 49 वर्ष
13. शिरीष पिता शिवजी यादव, आयु 49 वर्ष,
14. दीपक पिता शांतिलाल, आयु 39 वर्ष,
सभी निवासीगण-ग्राम छोटा बड़दा,
तहसील अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.
15. राधेश्याम पिता रामलाल, आयु 40 वर्ष,
निवासी- ग्राम बरुफाटक, तहसील ठीकरी,
जिला-बड़वानी म.प्र.
16. मांगीलाल पिता गोपाल, आयु 64 वर्ष,
निवासी-ग्राम खजुरी, तहसील राजपुर,
जिला-बड़वानी म.प्र.
17. बट्टी पिता चिन्दर, आयु 40 वर्ष,
निवासी-अम्बापुरा ग्राम बरुफाटक
तहसील ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// 2 //

// निर्णय //

(आज दिनांक 07.02.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 264/2001 अंतर्गत 147, 149, 353, 427, 332 भा.द.सं. में दिनांक 08.05.2002 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 20.11.2001 को दिन में 2:40 बजे ग्राम छोटा बड़दा में सहअभियुक्तगण के साथ शासन द्वारा उक्त ग्राम के डूब क्षेत्र में आने के कारण इस बारे में चलाये जा रहे कार्यक्रम सर्वेक्षण आदि के कार्य में शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी श्री नीलकंठ टिकाम आदि के शासकीय कार्यों में अवरोध व बाधा उत्पन्न करने के समान उद्देश्य से अवैध जमाव गठित करने, उक्त अवैध जमाव का सदस्य रहते हुए उसके समान उद्देश्यों को अग्रसर करने में पुलिस बल पर पथराव करने जिससे आरक्षक रविशंकर, एन.व्ही.डी. ए. कर्मचारी अनिलसिंग, मजदूर युसुफ व आरक्षक विनय को चोटें कारित होने, वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एस. 5897, वाहन क्रमांक एम.पी. 10-4508, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 11 ए. 6638, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एस. 2274 एवं वाहन महेन्द्रा जीप क्रमांक एम.पी. 03-489 में हानि कारित करने तथा बल और हिंसा का उपयोग करने के संबंध में धारा 147, 332 या 332/149, 427 या 427/149 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2001 को दिन में 11-12 बजे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी अनिलसिंह, युसुफ, इकबाल खान, पुरुषोत्तम, पूणेश कुमार, संतोष माली, सुशील कुमार, हेमराज एवं अंतरसिंह ग्राम बड़दा के डूब क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एस- 5897, एम.पी. 10 5408, टेम्पों ट्रक क्रमांक एम.पी. 11 ए. 6638 एवं एम.पी. 09 एस. 2274 तथा महेन्द्रा जीप क्रमांक एम.पी. 03-489 से गये थे तो अभियुक्तगण और गाँव के अन्य व्यक्तियों ने उन्हें सर्वेक्षण कार्य नहीं करने दिया, उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया तथा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उक्त वाहन में तोड़कर की तथा फरियादीगण के साथ मारपीट की। अतः थाना प्रभारी आर.एस. महिपाल ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 264/2001 अंतर्गत धारा 147, 149, 353, 332, 427 भा. द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान अनिलसिंह ठाकुर की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 9 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष सुशील की निशांदेही से वाहन एम.पी. 10-4508 में हुए नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया, पुरुषोत्तम की निशांदेही से वाहन एम.पी. 11 ए-6638 में हुए

नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया, आरिफ की निशांदेही से वाहन टेम्पो क्रमांक एम.पी. 09 एस. 2274 में हुए नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 7 बनाया तथा विनय की निशांदेही से वाहन महिन्द्रा पिजो जीन क्रमांक एम.पी. 03-489 में हुए नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 8 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्तगण आशीष, नरेन्द्र, अजीम, गजानंद, छोगालाल, मांगीलाल, मुकेश, शिवराम, शिरीष, दिलीप, बद्रीलाल, राधेश्याम, संतोष, अम्बाराम, सालकराम, भागीराम, मांगीलाल पिता गोपाल तथा दीपक पिता शांतिलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामें बनाये तथा अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण अनिलसिंह, युसुफ, विनयराही, नीलकंठ टिकाम, श्रवणसिंह, पुरुषोत्तम, इकबाल खान, सुशील, आरीफ, रविशंकर, हेमराज, संतोष, सतीश, पूणेश कुमार, रामप्रसाद तथा अंतरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 332 या 332/149 तथा 427 या 427/149 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया। विचारण के दौरान अभियुक्त छोगालाल और आशीष की मृत्यु होने से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई।

5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 20.11.2001 को दिन में 2:40 बजे ग्राम छोटा बड़दा में सहअभियुक्तगण के साथ शासन द्वारा उक्त ग्राम के डूब क्षेत्र में आने के कारण इस बारे में चलाये जा रहे कार्यक्रम सर्वेक्षण आदि के कार्य में शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी श्री नीलकंठ टिकाम आदि के शासकीय कार्यों में अवरोध व बाधा उत्पन्न करने के समान उद्देश्य से अवैध जमाव गठित किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त अवैध जमाव का सदस्य रहते हुए उसके समान उद्देश्यों को अग्रसर करने में पुलिस बल पर पथराव करने जिससे आरक्षक रविशंकर, एन.व्ही.डी. ए. कर्मचारी अनिलसिंग, मजदूर युसुफ व आरक्षक विनय को चोटें कारित की ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एस. 5897, वाहन क्रमांक एम.पी. 10 – 4508, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 11 ए. 6638, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एस. 2274 एवं वाहन महेन्द्रा जीप क्रमांक एम.पी. 03–489 में हानि कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया तथा उक्त वाहनों में तोड़फोड़ कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई तथा बल और हिंसा का उपयोग किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में डॉ.एम.एल. पाटीदार (अ.सा.1), अनिलसिंह (अ.सा.2), युसुफ (अ.सा.3), इकबाल खान (अ.सा.4), पुरुषोत्तम (अ.सा.5), डॉ.प्रमोद गुप्ता (अ.सा.6), सूरज (अ.सा.7), संजय (अ.सा.8), आरिफ (अ.सा.9), पूणेश कुमार (अ.सा.10), संतोष मालवीय (अ.सा.11), सुशील (अ.सा.12), हेमराज (अ.सा.13) एवं अंतरसिंह (अ.सा.14) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारण प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है इस संबंध में पुणेश कुमार अ.सा. 10 का कथन है कि दिनांक 25.11.2001 को वह अनुविभागीय अधिकारी के पद पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपखण्ड क्रमांक 47 बड़वानी में कार्यरत था तथा ग्राम छोटा बड़दा में सम्पत्ति के सर्वेक्षण करने के लिए कार्यपालन यंत्री श्री हेमराज राठोड़ के नैतृत्त्व में गया था, उनके साथ तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी टिकाम साहब, थाना अंजड़ का पुलिस बल, उनके कार्यालय के उपयंत्री आय.के. खान, श्री गुप्ता, श्री मालवीय एवं अन्य कर्मचारी भी थे, वे लोग शासकीय वाहन एवं प्रायवेट वाहन से सर्वे करने गये थे, तब गाँव के लोगों ने सर्वे का विरोध किया और उन्होंने सर्वे नहीं करने दिया। वे लोग छोटा बड़दा में जाकर वाहनों को स्कूल के पास रोककर पैदल गाँव में सर्वे करने गये थे, सर्वे करने के दौरान उन्हें सूचना मिली की उनके वाहनों को किसी ने तोड़-फोड़ की, तब वे वापस गये, और उन्होंने देखा की उनके वाहन टूटे-फूटे थे, लेकिन उन्होंने किसी को वाहन में तोड़-फोड़ करते हुए नहीं देखा था। इस साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय उसके ऊपर भी पत्थर फेंके गये थे या अभियुक्तों ने उसके ऊपर पत्थर फेंके थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उन्हें शासकीय सर्वे कार्य नहीं करने दिया और उसके काम में बाधा डाली। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि जिन लोगों ने उसे सर्वे कार्य नहीं करने दिया उन लोगों को वह व्यक्तिगत रूप से जानता है। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 15 का कथन देने से भी इंकार किया है।

8. हेमराज अ.सा.13 ने भी 12 वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में पदस्थ होने और सरदार सरोवर बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली सम्पत्ति का मूल्यांकन कार्य करने के लिए अन्य अभियोजन साक्षियों के साथ ग्राम छोटा बड़दा जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का कथन है कि वे बड़दा के नीचले हिस्से में सर्वेक्षण कार्य कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि कुछ आंदोलनकारियों ने गाँव के बाहर खड़ी सर्वेक्षण टीम के वाहनों को धकेलकर नाली में डाल दिया और पत्थरों से तोड़-फोड़ की हैं। साक्षी का यह कथन है कि वह वहाँ गया तो आंदोलनकारी उन्हें देखकर भाग गये। साक्षी का कथन है कि आंदोलनकारियों के आंदोलन से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 13 तथा प्रदर्शपी 18 से 25 तक का शेष साक्षियों का कर्तव्य प्रमाण-पत्र देने के संबंध में भी कथन किये हैं। इस साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आंदोलनकारियों ने उन पर भी पथराव किया था, जिसमें अनिलसिंह एवं युसुफ को चोटें आई थी। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्शपी 26 में अभियुक्तों का नाम शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में बताना भी स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर उसके पहुँचने के पूर्व 400-500 आंदोलनकारी थे और जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब 20-25 व्यक्ति थे, क्योंकि वह थोड़ी देर से पहुँचा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रदर्शपी 26 में जो नाम बताये हैं वह अपने साथी कर्मचारियों द्वारा बताये जाने और पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी द्वारा उल्लेखित किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस कथन में दिये गये नामों के आधार पर अभियुक्तों को नहीं पहचान सकता।

9. अंतरसिंह अ.सा.14 ने भी पूनेश कुमार अ.सा.10 और हेमराज अ.सा. 13 के कथनों का समर्थन करते हुए ग्राम छोटा बड़दा में आंदोलनकारियों द्वारा उनके वाहन में तोड़फोड़ करने और उन्हें सर्वेक्षण कार्य नहीं करने देने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन इस साक्षी ने भी किसी अभियुक्त की पहचान नहीं की। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने ही वाहन में तोड़-फोड़ की थी और उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 17 का कथन देने से भी इंकार किया है।

10. अनिलसिंह अ.सा. 2, युसुफ अ.सा. 3, इकबाल खान अ.सा. 4, पुरुषोत्तम अ.सा. 5, सूरज अ.सा. 7, संजय अ.सा. 8 , आरिफ अ.सा. 9, संतोष मालवीय अ.सा. 11, सुशील अ.सा. 12 ने भी कवेल ग्राम बड़दा जाकर सर्वेक्षण कार्य करने और आंदोलनकारियों द्वारा वाहन में तोड़-फोड़कर उनको पत्थर से चोट आने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने ही घटना, दिनांक, स्थान व समय पर उन्हें शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की या वाहनों में तोड़-फोड़कर क्षति कारित की। यहाँ तक कि उक्त साक्षियों ने पुलिस को कोई भी कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है।

11. डॉ.एम.एल. पाटीदार अ.सा.1 ने दिनांक 25.11.2001 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में अनिलसिंह, युसुफ, विनयरागी का चिकित्सीय परीक्षण करने के संबंध में कथन किये हैं तथा प्रदर्शपी 1 से लगाकर प्रदर्शपी 3 का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन भी प्रमाणित किया है।

12. डॉ. प्रमोद गुप्ता अ.सा. 6 ने दिनांक 25.11.2001 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में राधेशंकर का मेडिकल परीक्षण करने और उसे प्रदर्शपी 7 में दर्शित चोटें आना बताई है।

13. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि प्रकरण के साक्षियों के वॉरंट पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से भेजे जाने के बाद भी शेष साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया है। परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्तों द्वारा घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी एवं साक्षीगण को शासकीय कार्य में बांधा डालने का सामान्य उद्देश्य बनाकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने और वाहन एम.पी. 10-4508, वाहन एम.पी. 11 ए-6638, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एस. 2274, वाहन महिन्द्रा पिजो जीन क्रमांक एम.पी. 03-489 में तोड़फोड़ कर रिष्टि कारित करने तथा क्षतिकारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यहाँ तक कि किसी भी साक्षियों ने अभियुक्तों की पहचान भी घटनास्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं की है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

14. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय तीनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 147, 332 या 332/149, 427 या 427/149 भा.दं.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

